भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

ईपीएबीएक्स - 011-23717391-98
फैक्स - 011-23713412/23739944
वेबसाइट : www.eci.nicin

सं. 464/अनुदेश/2016/ईपीएस तारीख 30 अप्रैल, 2016

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : मतदान दिवसों और मतदान प्रक्रिया के दौरान वेबकास्टिंग के लिए प्रयुक्त कैमरे को लगाए जाने के बारे में।

संदर्भ : 1) अनुदेश सं. 464/अनुदेश/2014 – ई पी एस, तारीख 21 मार्च, 2014;

2) अनुदेश सं. 464/अनुदेश/2015 – ई पी एस, तारीख 6 अक्टूबर, 2015;

3) अनुदेश सं. 464/अनुदेश/2015 – ई पी एस, तारीख 16 अक्टूबर, 2015;

महोदय,

मुझे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए किए जाने वाले कई उपायों के संबंध में आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है। इस संबंध में सख्त अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

1. मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैमरा सतह से पर्याप्त ऊंचाई अर्थात 7-8 फीट पर लगाया जाए।
2. कैमरे को स्थायी एवं मजबूत प्लेटफार्म या दिवार पर लगे स्टैंड पर रखा जाना चाहिए और स्थिर स्थिति में रखा जाना चाहिए।
3. कैमरे की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि निर्वाचनों (मतदान) की कार्यवाही के निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट रूप से ग्रहण किया जा सके एवं परेषित किया जा सके।

   i) मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया;

   ii) मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही को लगाना;

   iii) मतदाता की संतोषजनक पहचान के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा ई वी एम की कंट्रोल यूनिट को चालू करना;

   iv) ई वी एम में बैलटिंग यूनिट पर मत डालने के लिए मतदाता का मतदान कोष्ठ में जाना, किंतु बैलेट यूनिट के आवरण भाग (फेस) को दिखाए बिना ताकि मतदाता की गोपनीयता सभी स्थितियों में परिरक्षित रहे।

   v) संभव सीमा तक मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति।

   vi) मतदान की समाप्ति के समय,कतार में प्रतीक्षारत मतदाताओं को पर्ची/टोकन बांटना,

   vii) ई वी एम (बैलट यूनिट/कंट्रोल यूनिट), वी वी पी ए टी, यदि प्रयोग किया गया है, को सीलबंद करना और मतदान अभिकर्ताओं को प्ररूप 17-ग की प्रतियां देना।
4. वेब कैमरा/लैपटॉप को पी-1 दिवस को मतदान केंद्र में लगाया जाना चाहिए और वेबकास्टिंग का अभ्यास (ड्राई रन) रिटर्निंग आफिसर के पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए; मतदान की तारीख सहित मतदान केंद्रों का नाम एवं संख्या ऐसे स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए कि कैमरे में पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान यह हमेशा दिखाई दे। बूथ लेवल अधिकारी और संबंधित सेक्टर अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर को मतदान केंद्र-वार यह प्रमाण पत्र देना चाहिए कि वेबकास्टिंग का इंतजाम उपर यथा विनिर्दिष्ट तरीके से किया गया है और ये समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर, जिला निर्वाचन अधिकारी आगे आयोग को प्रस्तुत किए जाने के लिए एक समेकित रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देगा।
5. रिटर्निंग आफिसर प्रदीप्त पीली पृष्टभूमि पर काले अक्षरों का "30 इन्च x 18 इन्च" का संकेतक (साइनेज) तैयार करेगा जिसपर निम्नलिखित पाठ लिखा होगा – ''आप वेब कैमरा/सी सी टी वी निगरानी के अधीन हैं''। इन संकेतकों को मतदान केंद्र के भीतर एवं बाहर कई अवस्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

6. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेबकास्टिंग के लिए प्रयुक्त ढांचे में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित न किया जाए।

7. इन आदेशों को सख्त अनुपालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाया जाए। प्रेक्षकों को भी क्षेत्र में अनुवीक्षण एवं अनुपालन के लिए सूचित किया जाए।

इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय

(सुमित मुखर्जी)
सचिव